न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **Page 1 of 1.** **स्वत्व वाद सं0-31/13**
अवर न्यायाधीश **सीआईएस संख्या -1323/18**
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** **दिनांक 6.03.2024**

दिनांकः 6.03.2024 वाद पुकारा गया प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 05.02.2024 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद वादी ने हकीयत की घोषणा न्यायालय में दाखिल किया था । यह कि प्रतिवादी सं 1 ने दिनांक 30.01.2024 को सयतकरारी जमीन जो कि मद नं 2 नालिस में दर्ज है से बेदखल कर दिया यह कि बेदखली की स्थिति में वाद पत्र के पैरा सं 21 के अंत में तथा मद 2 की एराजी से वादी को बेदखल कर दिया तथा पैरा 22 के अंत में एवं पैरा 23 के दादरसी में संशोधन आवश्यक है अतः चूंकि सारे संशोधन साधारण प्रकृति के है अतः संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा किया जाए।

प्रतिवादी की तरफ से प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया उसे प्रतिउत्तर से वंचित किया गया।

उपस्थित पक्ष को सुना। मामले में वादी के आवेदन का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा दिया गया संशोधन आवेदन विचारण के दौरान दिया गया है चूंकि मामले में एक नयी परिस्थिति में विवादग्रस्त भूमि से वादी की बेदखली के कारण पैदा हो गयी है अतः न्यायहित में चूंकि संशोधन की प्रकृति औपचारिक है । अतः वादी का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते वादी साक्ष्य। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अग्रिम तिथि में अपना साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करें।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।